

📅 23 Jul 2020

Social media
Share this article 

रायपुर : जून माह में निःशुल्क अरहर दाल नहीं ले पाए हैं, वे जुलाई माह में ले सकेंगे दाल : राज्य शासन ने जारी किया आदेश

रायपुर 23 जू

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बी.पी.एल श्रेणी के सभी राशनकार्डधारियों को जून माह में प्रति कार्ड एक किलोग्राम निःशुल्क अरहर दाल देने निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में जून माह में वितरण के लिए अरहर दाल का आबंटन जारी किया गया है। बीपीएल श्रेणी के जो राशनकार्डधारी जून माह में दाल नहीं ले पाए हैं, वे अपनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से जून माह का निःशुल्क अरहर दाल जुलाई माह में ले सकते हैं। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए जून माह में अवितरित अरहर दाल का वितरण पात्र राशनकार्डधारियों को जुलाई माह में करने के निर्देश राज्य के सभी कलेक्टरों को दिए गए हैं। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आज मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर जून माह में अवितरित अरहर दाल का वितरण जुलाई माह कराने कहा गया है।

क्रमांक: 2

TAGS:

 Print this article

